

पेज संख्या 1/4
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 39/2013

अपीलांट

1. हेमराज पुत्र शिवाजी, जाति कुम्हार, निवासी गोलासन, हाल टरूआ, तहसील थराद, जिला बनासकांठा (गुजरात)
बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. हरदेवा पुत्र रतना
2. प्रकाश पुत्र रतना, जातियान कुम्हार, निवासीगण गोलासन, तहसील सांचौर
3. अजमल पुत्र शिवा
4. गेराबेन धर्मपत्नी शिवा, जातियान कुम्हार, निवासीगण गोलासन, हाल टरूआ, तहसील थराद, जिला बनासकांठा (गुजरात)
5. काजाराम पुत्र केहरा, जाति कलबी
6. कमीदेवी धर्मपत्नी केहरा
7. उका पुत्र डामरा
8. नारणा पुत्र डामरा, जातियान कलबी
9. देवाराम पुत्र भगवाना, जातियान ब्राह्मण, निवासीयान गोलासन तहसील सांचौर, जिला जालोर।
10. केशरकंवर धर्मपत्नी नरपतचंद, जाति राव, निवासी सांचौर।
11. शाखा प्रबंधक जालोर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सांचौर
12. सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर।

उपस्थित :-


1. श्री त्रिलोक चंद महेता अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टगण
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 12 की ओर से

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :-

दिनांक : 07.06.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा राजस्व वाद संख्या 142/2010 बउनवान हेमराज वगैरा बनाम हरदेवा वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2013 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को


राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा गोलासन तहसील सांचौर के पुराने खसरा नंबर 437 रकबा 19 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 438 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 459 रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 497/1 रकबा 55 बीघा 5 बिस्वा कुल रकबा 104 बीघा 15 बिस्वा, जिसके नवीन खसरा नंबर 867 रकबा 3.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 868 रकबा 1.54 हैक्टेयर, खसरा नंबर 883 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 884 रकबा 3.34 हैक्टर, खसरा नंबर 872 रकबा 3.88 हैक्टर, खसरा नंबर 974/1166 रकबा 3.13 हैक्टर, खसरा नंबर 1388/974 रकबा 1.93 हैक्टर के संबंध में प्रस्तुत कर हक हिस्से अनुसार खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। उक्त दावे का आधार यह था कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट की पुश्तैनी आराजी है। अपीलांट के दादा मगा एवं रेस्पोंडेंट संख्या 01 व 02 के पिता रतना दोनो सगे भाई थे एवं पुजांजी के पुत्र थे। ऐसी सूरत में मृत मगा के उत्तराधिकारी होने की हैसियत से अपनी पैतृक आराजी में हक हिस्सा बनता है। अपीलांट ने अपने वाद में यह स्पष्ट कथन किया है कि शिवा अपना व्यवसाय मटका बनाने का ग्राम टरूआ में करता था और वहीं मटके बनाकर बेचने का कार्य करता था तथा वादग्रस्त आराजी टरूआ गांव से मात्र 15-20 किलोमीटर गोलासन में स्थित है। अपीलांट ने अपने वाद में यह कथन किया है कि उसके पिता शिवा गांव टरूआ में अपना व्यवसाय करता था तो उसका मतदाता सूची, राशनकार्ड वगैराह उस गांव के ही होंगे लेकिन किसी भी व्यक्ति की खातेदारी आराजी भारत में कही भी हो सकती है। अपीलांट ने अपनी साक्ष्य में मतदाता सूची भाट(राव) की बही उसका शपथ पत्र प्रस्तुत कर व अन्य गवाहों से साक्ष्य दिलवाकर यह प्रमाणित किया है कि शिवा के पिता का नाम मगा है जिसके खंडन में ऐसा कोई सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुआ जो अपीलांट के दस्तावेजों का खंडन करता हो। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 50 वर्ष पूर्व म्यूटेशन भरने एवं उक्त म्यूटेशन को चैलेन्ज न करने मात्र का हवाला देते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है जबकि कानूनन कोई म्यूटेशन किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं देता है। अपीलांट ने अपनी साक्ष्य में मतदाता सूची भाट(राव) की बही की प्रति प्रस्तुत कर स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया है कि शिवा मगा का पुत्र था। चूंकि गुजरात राज्य में नाम के आगे भाई लिखने की प्रथा है जिससे किसी व्यक्ति के हकूक प्रभावित नहीं होते हैं। मगा अविवाहित था इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुआ जबकि अपीलांट ने मगा का पुत्र होना दस्तावेजों से साबित किया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाई जावे।



39/2013

हेमराज बनाम हरदेवा वगैरा

पेज संख्या 3/4

विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेण्डेन्ट्स ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा गोलासन तहसील सांचौर के पुरोन खसरा नंबर 437 रकबा 19 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 438 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 459 रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 497/1 रकबा 55 बीघा 5 बिस्वा कुल रकबा 104 बीघा 15 बिस्वा, जिसके नवीन खसरा नंबर 867 रकबा 3.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 868 रकबा 1.54 हैक्टेयर, खसरा नंबर 883 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 884 रकबा 3.34 हैक्टर, खसरा नंबर 872 रकबा 3.88 हैक्टर, खसरा नंबर 974/1166 रकबा 3.13 हैक्टर, खसरा नंबर 1388/974 रकबा 1.93 हैक्टर के संबंध में प्रस्तुत कर हक हिस्से अनुसार खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। यह निर्विवाद सत्य है कि पुंजा के दो पुत्र रतना एवं मगा थे, किन्तु मगा की कोई संतान नहीं थी, यहां तक की मगा ने शादी तक नहीं की थी। इसलिये मगा के पुत्र होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा काल्पनिक वंशावली पेश की है। जबकि शिवा का पिता मगा होने का व गोलासन का निवासी होने का या उनके द्वारा ग्राम गोलासन में इस खातेदारी के संबंध में कोई हित होने का लैस मात्र भी साक्ष्य के रूप में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा गोलासन तहसील सांचौर के पुरोन खसरा नंबर 437 रकबा 19 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 438 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 459 रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 497/1 रकबा 55 बीघा 5 बिस्वा कुल रकबा 104 बीघा 15 बिस्वा, जिसके नवीन खसरा नंबर 867 रकबा 3.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 868 रकबा 1.54 हैक्टेयर, खसरा नंबर 883 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 884 रकबा 3.34 हैक्टर, खसरा नंबर 872 रकबा 3.88 हैक्टर, खसरा नंबर 974/1166 रकबा 3.13 हैक्टर, खसरा नंबर 1388/974 रकबा 1.93 हैक्टर के संबंध में प्रस्तुत कर हक हिस्से अनुसार खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवाद सत्य है कि पुंजा के दो पुत्र रतना एवं मगा थे। अब हस्तगत प्रकरण में यह प्रश्न उठता है कि क्या अपीलांट एवं रेस्पोजेण्डेन्ट संख्या 03 व 04 मगा वल्द पुंजा के विधिक वारिसान है अथवा नहीं ? अपीलांट ने हाजा न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.02.2017 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर राशन कार्ड एवं वोटर लिस्ट को रेकॉर्ड पर लेने का निवेदन किया, जिसे हाजा न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 30.11.2018 द्वारा स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेजो रेकॉर्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं। उक्त वोटर लिस्ट के क्रमांक संख्या 792 मकान नंबर 103 में गुजराती भाषा में कुमार शिवाभाई पिता मगाभाई एवं क्रमांक संख्या 796 मकान नंबर 103 में गुजराती भाषा में कुमार हेमराज



राजस्थान अपील प्राधिकारी
पाली

39/2013

हेमराज बनाम हरदेवा वगैरा

पेज संख्या 4/4

भाई पुत्र शिवाभाई का नाम का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट उक्त दस्तावेजों का प्रस्तुत नहीं कर पाया, किन्तु हाजा न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने उक्त दस्तावेजों का प्रस्तुत किया है जिसकी जांच किये बिना किसी भी निर्णय पर पहुंचना हाजा न्यायालय की राय में उचित नहीं प्रतीत होता है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। तथा सहायक कलक्टर सांचौर बउनवान हेमराज वगैरा बनाम हरदेवा वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2013 अपास्त किया जाकर इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हाजा न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की विधिवत जांच की जाकर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.06.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशासम डूडी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

